संख्या-11-315(2)/38-6-15-07(एसआरएलएम)/2014टीसी

प्रेषक,

अरूण सिंघल,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक- मार्च ,2015**

विषय:- कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति मद(अनुदान सं0-81) में स्वीकृत /अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष अनुसूचित जाति मद(अनुदान सं0-83) से धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कौशल विकास मिशन के प्रस्ताव के क्रम में मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-4012/79/एनआरएलएम/लेखा/2014-15, दिनांक'02-03-2015 तथा कौशल विकास मिशन के पत्रांक-2701/कौ0वि0मि0/2014-15/एस/डीडीयू-जीकेवाई/23,दिनांक-18-3-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन/एनआरएलएम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिए उ0प्र0 कौशल विकास मिशन हेतु रू0 442.41 करोड की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 75 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है, जिसके सापेक्ष पत्र संख्या-जे0-17036/57/2013-आजीविका स्किल्स, दिनांक-13-10-2014(आदेश सं0-88सी) द्वारा केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 34.84 करोड अनुदान संख्या-81(एसटी मद) में अवमुक्त की गई है।

2- भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के लिए अनुसूचित जनजाति मद की धनराशि को अनुसूचित जाति मद में उपयोग करने की दी गई अनुमति दिनांक-30-12-2014 के आधार पर मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा किये गये उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक-02 मार्च, 2015 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति मद में अवमुक्त केन्द्रांश की उक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष अनुदान संख्या-81 में धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण अनुदान संख्या-83(एससीएसपी मद) से मैचिंग राज्यांश रू0 11.61 करोड स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया

http://shasanadesh.up.nic.in

गया है। अत: मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में एनआरएलएम योजना में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था से केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए रू0 46.45 करोड(रूपये छियालिस करोड पैतालिस लाख मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अनुदान संख्या-81(अनुसूचित जनजाति मद) हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त उक्त धनराशि के साथ ही राज्यांश की धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान सं0-83 से उपरोक्तानुसार अवमुक्त किये जाने की स्थिति में भारत सरकार से यदि इस बिन्दु पर कोई आपत्ति की जाती है तो उसका समाधान करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, एल्डिको कारपोरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का होगा।

(2) धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय एनआरएलएम/कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम/कौशल विकास मिशन, लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 46.45 करोड(रूपये छियालिस करोड पैतालिस लाख मात्र) में से रू0 28.23 करोड(रूपये अट्ठाइस करोड तेईस लाख मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विषयगत 41 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्प्रति संरक्षित करते हुए अवशेष धनराशि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन सोसाइटी, आईटीआई परिसर, अलीगंज, लखनऊ को वित्तीय नियमों के अन्तर्गत तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का आहरण इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(4)अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2015 को समर्पित कर दी जाएगी।

(5)यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम/उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि योजनान्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(6)आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम/उ0प्र0कौशल विकास मिशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-

http://shasanadesh.up.nic.in

231/2014, दिनांक-14 मार्च, 2014 तथा 22 जुलाई, 2014 एवं समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक-29 मार्च, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के.75/रा.25) के.रा.-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-6-279(4)/38-6-15-07(एसआरएलएम)/2014, दिनांक-12 मार्च, 2015 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-11-315(3)/38-6-2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, आईटीआई परिसर, अलीगंज, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
11-बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://dhasandesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in